enough accommodation is available on site;

(b) if so, the considerations under which they have been allowed to do so while employees in the lower categories have to live on the site; and

(c) what are the rules for air-travel applicable to Officers of this Unit?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b). At present, only the General Manager, Works Manager, Chief Engineer (Civil) and Chief Engineer (Technical) reside in the city. The General Manager and the Chief Engineer (Civil) do not draw house rent allowance. The quarters for the General Manager is under construction. In the allotment of higher type of quarters, all of which have been allotted, preference has been given to foreign experts and to regular employees of the Company. The present Chief Engineer (Civil), Chief Engineer (Technical) and Works Manager who are all deputationists, have been permitted to continue their private arrangements.

(c) Officers in receipt of pay Rs. 1,600 per month and above are permitted to travel by Air at their discretion.

Officers in receipt of pay less than Rs. 1,600 per month but Rs. 1,300 and above are permitted to travel by Air provided that (a) the distance proposed to be travelled by Air is not less than 800 Kms. and the journey cannot be performed over-night by Rail; (b) the Airport lies on the shortest route and no detour is involved by reaching it by Rail; (c) undertaking part of the journey by Air results in an overall saving of a substantial part of a working day.

Other staff can in special cases travel by Air if the Competent Authority certifies that the purpose of the tour is very urgent and Air travel is considered essential in the interests of the Company.

दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे पुल

3492. श्री ब्रह्मानन्द जी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में रायपुर में तेलघानी नाका के लोगों ने इस स्थान के निकट एक पुल बनाने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन भेजा है जैसा कि जून, 1967 के नवभारत टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे अधिकारियों ने पुल बनाने के बारे में अनेक बार आश्वासन दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो अब तक पुल के न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० म० पुनाचा) : (क) रायपुर स्टेशन के पश्चिमी सिरे पर तेलघानी नाका समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिये राज्य सरकार स्थानीय नगरपालिका और जनता की ओर से समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (घ). वर्तमान नियमों के अनुसार, रेलें व्यस्त समपारों के बदले लाइन के ऊपर / नीचे सड़क पुलों का निर्माण करती हैं बशर्ते ये योजनाएं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित की जायें और बशर्ते राज्य सरकार / सड़क प्राधिकारी लागत के अपने हिस्से का खर्च देने के लिये सहमत हों।

इस मामले में, रेलवे शुरू से ही इस समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल का ढांचा नियमानुसार अपने खर्च पर बनाने को तैयार रही है बशर्ते सड़क प्राधिकारी अपने खर्च पर पहुंच मार्गों का निर्माण साथ-साथ करें। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिये कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं भेजा है। सम्भवतः इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में घनी आबादी के कारण सड़क के पहुंच मार्गों के निर्माण में भारी खर्च आयेगा। ज्यों ही राज्य सरकार इस ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिये निश्चित प्रस्ताव भेजेगी और पहुंच मार्गों का निर्माण शुरू करने की स्थिति में होगी, रेलवे पुल बनाने के लिये तैयार हो जायेगी।

(घ) सवाल नहीं उठता।

Aerial Survey of Rajasthan

3493. Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn towards the allegations made In the Rajasthan Assembly that the plane of the American company, which had been conducting an aerial survey, had flown towards the strategic areas on the border;

(b) whether any enquiry has been made in the matter; and

(c) if so, the result thereof?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Chenna Reddy): (a) to (c). The attention of the Central Government has been drawn to the discussion on an adjournment motion by Shri Bhairon Singh, Leader of the Jana Sangh party in the Rajasthan Legislative Assembly on 1st June, 1967 regarding violation of Indian airspace by a Pakistani aircraft and the espionage activities in the border areas. The allegations regarding the aircraft of the American Company in charge of aerial survey operations are altogether baseless; the work of aerial survey in Rajasthan has not yet started. The American Company, who have been awarded a contract for this purpose have not yet brought any aircraft into India.

मध्य प्रदेश में सीमेंट का कारखाना

3494. श्री ब्रह्मानन्दजी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में दामोह जिले में पथारिया में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिये सरकार ने बिड़ला भाइयों को एक लाइसेंस दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस कारखाने का निर्माण-कार्य कब पूरा हो जायेगा; और

(ग) उस कारखाने की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता कितनी है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० को नवम्बर, 1964 में एक आशय पत्र जारी किया गया था, जो पथरिया में 200,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाला सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में 6 महीने के लिये मान्य था और बाद में जिसकी अवधि 31-12-65 तक बढ़ा दी गई थी। सीमेंट उद्योग को अब 13 मई, 1966 के उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है और अब सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस लेने की किसी को आवश्य-